



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052020-219339
CG-DL-E-11052020-219339

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2020/वैशाख 21, 1942

No. 117]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2020/VAISAKHA 21, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2020

प्रकरण संख्या: एडीडी-ओ आई 08/2020

विषय: मै. किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वियतनाम द्वारा उत्पादित 6 मिमि. और उससे अधिक मोटाई वाले 'प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/9/2020-डीजीटीआर.— 1. मै. ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ मै. ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा मै. सेंचुरी प्लाईबोर्ड (इंडिया) लिमिटेड तथा मै. रूशिल डेकोर लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन दायर किया है जिसमें मैसर्स किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम द्वारा उत्पादित 6 मिमि. और उससे अधिक मोटाई वाले "प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि मै. किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वियतनाम से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उन्होंने संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. इंडोनेशिया तथा वियतनाम से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच दिनांक 7 मई, 2015 की अधिसूचना सं. 14/23/2014-डीजीएडी के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 5 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 14/23/2014-डीजीएडी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे जिनमें इंडोनेशिया तथा वियतनाम से प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 14 जुलाई, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 34/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था। मै. किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वियतनाम पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था क्योंकि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम रहा था। उक्त निर्यातक के विरुद्ध पाटनरोधी जांच समाप्त हो गई थी और तदनुसार, मै. किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वियतनाम के विरुद्ध कोई समीक्षा शुरू नहीं की जा सकती है।

संबद्ध निर्यातक

4. आवेदक ने मै. किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वियतनाम से पाटित आयातों के कारण क्षति होने का दावा किया है।

विचाराधीन उत्पाद

5. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद 6 मिमि. और उससे अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड है। उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

विचाराधीन उत्पाद प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड है जिसे प्लेन एम डी एफ बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक संयोजित लकड़ी का उत्पाद है जिसे लकड़ी के अपशिष्ट फाइबर को ताप और दबाव का अनुप्रयोग करके यूरिया फोरमेलिडहाइड रेजिन या मेलामाइन रेजिन से आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इसका व्यापक रूप से इसकी सुचारू और एक समान फिनिश के कारण पार्टेशन, मॉड्यूलर फर्नीचर, केबिनेट आदि में प्रयोग किया जाता है। एमडीएफ बोर्ड को प्लेन रूप में उत्पादित किया जाता है और लेमिनेशन अतिरिक्त प्रसंस्करण है जिसे प्लेन एमडीएफ बोर्ड के उत्पादन के पश्चात किया जाता है।

लेमिनेटेड मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड (लेमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड) विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है। 6 मिमि. से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड उत्पाद के दायरे से बाहर है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद 6 मिमि. और उससे अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड है।

6. संबद्ध वस्तु अधिनियम, के अध्याय-4 के अधीन उपशीर्षों 44111200 और 44111300 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं। तथापि, संबद्ध वस्तु का आयात अन्य टैरिफ उप शीर्षों 44119219, 44119229, 44119319, 44119419 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। ये सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

समान वस्तु

7. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही सबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोग की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध निर्यातक से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

8. यह आवेदन मै. ग्रीनप्लाइ इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ मै. ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईबोर्ड (इंडिया) लिमिटेड और मै. रूसिल डेकोर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए आवेदकों के पास भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध निर्यातक से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे भारत में पी यू सी के किसी आयातक से संबंधित हैं। अतः प्राधिकारी द्वारा नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के अर्थ के भीतर आवेदकों को घरेलू उद्योग माना गया है।

पाटन का आधार**i. सामान्य मूल्य**

9. संबद्ध निर्यातक के मामले में आवेदकों ने सामान्य मूल्य का दावा बाजार अनुसंधान रिपोर्ट में दी गई कीमतों के आधार पर संबद्ध निर्यातक के देश में प्रचलित कीमतों के आधार पर किया है।

ii. निर्यात कीमत

10. प्राधिकारी ने संबद्ध निर्यातक के लिए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का परिकलन डायरेक्टोरेट जनरल सिस्टम्स के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय माल-भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं।

11. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया संबद्ध निर्यातक से आयातित पी यू सी के संबंध में भारी पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध उत्पादक/निर्यातक द्वारा भारत में पीयूसी का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

12. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदकों ने पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन, कीमत कटौती, और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी प्रभाव के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि उनका कार्य निष्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है जिसका कारण घरेलू उद्योग की विक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से कम पर पी यू सी के आयातों में वृद्धि होना है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि क्षति हुई है और यह क्षति संबद्ध निर्यातक से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही है।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

13. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध निर्यातक के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध उत्पादक/निर्यातक से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

जांच की अवधि

14. नियम २२ के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि:

“इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, जांच की अवधि, - (i) जांच शुरू होने की तारीख तक छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होगी। (ii) बारह महीने की अवधि के लिए हो और नामित प्राधिकारी को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए न्यूनतम छह महीने या अधिकतम अठारह महीने पर विचार कर सकते हैं।”

15. नियमों में उपरोक्त प्रावधान को देखते हुए, वर्तमान जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2019 (12 महीने) का प्रस्ताव करते हैं। क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2016 – मार्च 2017, अप्रैल, 2017- मार्च, 2018, अप्रैल, 2018- मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

16. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

17. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in तथा adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

18. संबद्ध निर्यातक को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वह नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सके।

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

21. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना जांच शुरूआत अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in तथा adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में सस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

24. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

25. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

26. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

28. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

30. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

31. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

असहयोग

32. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2020

Case No. ADD-OI-08/2020

Subject : Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Plain Medium Density Fibre Board having thickness 6 mm and above produced by M/s Kim Tin MDF Joint Stock Company, Vietnam.

F. No. 6/9/2020-DGTR.—1. M/s Greenply Industries Limited/ M/s Greenpanel Industries Limited, and M/s Century Plyboards (India) Ltd. and M/s Rushil Decor Limited (hereinafter referred to as the “Applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), for an original Anti-dumping investigation concerning imports of Plain Medium Density Fibre Board having thickness 6 mm and above (hereinafter also referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”) produced by M/s Kim Tin MDF Joint Stock Company, Vietnam.

2. The Applicants have alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports from M/s Kim Tin MDF Joint Stock Company, Vietnam and have requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods.

Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from Indonesia & Vietnam was initiated by the Authority vide Notification No. 14/23/2014-DGAD dated 7th May 2015. The Authority notified final findings vide Notification No. 14/23/2014/DGAD dated 5th May 2016 recommending definitive antidumping duty on imports of Plain Medium Density Fibre board from the Indonesia and Vietnam. The definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 34/2016-Customs (ADD) dated 14th July 2016. The duties are effective till 13th July 2021. No anti-dumping duty was levied on M/s Kim Tin MDF Joint Stock Company, Vietnam since the dumping margin was below de-minimis level. Thus, Anti-dumping investigation against the said exporter was terminated and accordingly, no review can be initiated against M/s Kim Tin MDF Joint Stock Company Vietnam.

Subject Exporter

4. The Applicants have claimed injury due to dumped imports from M/s Kim Tin MDF Joint Stock Company, Vietnam.

Product under Consideration

5. The product under consideration in the investigation is “Plain Medium Density Fiber board having thickness 6 mm and above”. The product has been defined as under:

The product under consideration is Plain Medium Density Fiber Board, also known as Plain MDF Board. It is a composite wood product made out of wood waste fibers glued together with urea formaldehyde resin or melamine resin by applying heat and pressure. It is widely used for partitions, Modular furniture, cabinets etc, due to its smooth and uniform finish. MDF Board is produced in plain form and lamination is additional processing which is carried out after production of Plain MDF Board.

The laminated Medium Density Fibre Board (laminated MDF Board) is beyond the scope of product under consideration. The Plain Medium Density Fibre Board having thickness of less than 6 mm is excluded from the product scope. The product under consideration accordingly is “Plain Medium Density Fibre Board having thickness 6 mm and above”.

6. The subject goods are classifiable under Chapter 4 of the Act, under sub-headings 44111200 and 44111300. However, the subject goods are being imported under other tariff sub-heading also, i.e. 44119219, 44119229, 44119319, 44119419 as well. These custom classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

Like Article

7. The Applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject exporter.

Domestic Industry

8. The Application has been filed by M/s Greenply Industries Limited/ M/s Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and M/s Rushil Décor Limited. Considering the information on record, the Applicants account for a major proportion of the Indian production. The Applicants have claimed that they neither imported the subject goods from the subject exporter nor are related to any importer of the PUC in India. The Authority has, therefore, considered the Applicants as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Basis of dumping**i. Normal Value**

9. In case of the subject exporter, the Applicants have claimed normal value on the basis of prices prevailing in the country of subject exporter, based on prices reported in a Market Research Report.

ii Export Price

10. The Authority has computed the export price for subject goods for the subject exporter based on Directorate General Systems transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges.

11. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows significant dumping margin in respect of the PUC imported from the subject exporter. There is sufficient prima facie evidence that the PUC are being dumped into the India by the subject producer/exporter.

Injury and Causal link

12. Information furnished by the Applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicants have claimed that their performance have been adversely impacted resulting in decline in profits and return on capital employed as a result of increase in imports of PUC at a price below selling price and non-injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence that the injury exists and is being caused to the domestic industry by dumped imports from subject exporter.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

13. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject exporter, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration imported from the subject producer/ exporter and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury caused to the domestic industry.

Period of investigation

14. Explanation to Rule 22 of Rules states that:

“For the purposes of these rules, the period of investigation shall, - (i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation. (ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.”

15. In view of the above provision in the Rules, the period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is January 2019 to December 2019 (12 months). The injury investigation period will cover the periods April 2016- March 2017, April 2017-March 2018, April 2018-March 2019 and the POI.

Procedure

16. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed in the present investigation.

Submission of Information

17. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in

18. The subject exporter is being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.

Time Limit

21. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 60 days of the issue of this initiation notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

23. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

24. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

25. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

26. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

30. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

31. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

32. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority